

पत्र संख्या : 7ब/4701 योज०सं०-15/2016

68

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

मुख्यदेव सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची/देवघर/मेदिनीनगर,

संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 27-06-16

विषय :-

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय, उप शीर्ष-75-सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय, विपत्र कोड 49P470180800750759 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	कुल आवंटन (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य	800-अन्य व्यय/ अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन	07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय, विपत्र कोड 49P470180800750759	283.83

आवंटित राशि - ₹ दो करोड़ तिरासी लाख तिरासी हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2016-17 के बजट उपबंध राशि रु. 600.00 लाख (छः करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1363 दि. 09.05.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

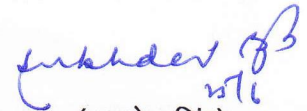
(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2017 तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

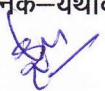
ज्ञापांक :- 68 राँची, दिनांक :- 27-06-16
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्डू राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/गुमला/चाईबासा/गोड्डा/देवघर/दुमका/मेदिनीनगर/गढ़वा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

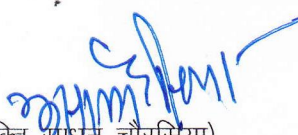
अनुलग्नक-यथोक्त

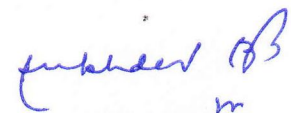

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 68 राँची, दिनांक :- 27-06-16
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता


(मुक्ति प्राधम चौधरी)
उप सचिव (अभि.)


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

विभागीय पत्रांक.....

68

दिनांक

27-06-16

का अनुलग्नक

परिशिष्ट -1

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग,

मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय,

उप शीर्ष-75-सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन,

विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय, विपत्र कोड 49P470180800750759

वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट उपबंध 600.00 लाख (छः करोड़) रुपये मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2016 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आबंटन	वर्तमान आबंटन	कुल आबंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सिंचाई प्रमंडल, गोडडा शिविर महानगा (GDDIRR001)	देवघर	विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण, अनुसंधान, डी०पी०आर० प्रीप्रेषन, परामर्शी सेवाएँ एवं मूल्यांकन कार्य, राज्य के विभिन्न नदियों पर गेज डिस्चार्ज मापन, कार्य रेन गेज संधारण आदि कार्य हेतु।	10/15-16 प्र०सी० दिनांक-08.06.2015	1000.00	11.76	0.00	2.94	2.94	39149	त्रिवेणी दीयर योजना के चैन 0.00 से 1008.00 तक सर्वेक्षण एवं DPR तैयार करने का कार्य।
योग							0.00	2.94	2.94		
2	जलपथ प्रमंडल, चाईबासा (SGHIRR008)	राँची	विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण, अनुसंधान, डी०पी०आर० प्रीप्रेषन, परामर्शी सेवाएँ एवं मूल्यांकन कार्य, राज्य के विभिन्न नदियों पर गेज डिस्चार्ज मापन, कार्य रेन गेज संधारण आदि कार्य हेतु।	10/15-16 प्र०सी० दिनांक-08.06.2015	1000.00	15.00	0.00	10.00	10.00	39151	रोरो सिंचाई योजना के ERM कार्य का DPR तैयार करने का कार्य
						0.00	0.00	10.00	10.00		दुगनी बराज योजना का DPR बनाने का कार्य
योग							0.00	20.00	20.00		
3	गुण नियंत्रण प्रमंडल, राँची (DRNMID007)	राँची	सिंचाई भवन, वाल्मी एवं आवासीय भवन निर्माण के लिये Master Plan, DPR, Supervision के लिए परामर्शी सेवा	31/13-14 प्र०सी० दिनांक 10.09.2013	87.006	6.80	0.00	10.00	10.00	39157	DPR work of WALMI, Irrigation Building and Residential Building, Dhurwa.
योग							0.00	10.00	10.00		
4	जलपथ प्रमंडल, गुमला (GMLIRR001)	राँची	विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण, अनुसंधान, डी०पी०आर० प्रीप्रेषन, परामर्शी सेवाएँ एवं मूल्यांकन कार्य, राज्य के विभिन्न नदियों पर गेज डिस्चार्ज मापन, कार्य रेन गेज संधारण आदि कार्य हेतु।	10/15-16 प्र०सी० दिनांक-08.06.2015	1000.00	25.50	0.00	10.00	10.00	39153	कतरी जलाशय योजना के ERM कार्य का DPR तैयार करने का कार्य
						21.75	0.00	10.00	10.00		धनसिंह टोली जलाशय योजना के ERM कार्य का DPR तैयार करने का कार्य
योग							0.00	20.00	20.00		
5	अनुसंधान प्रमंडल, गढ़वा (GRHIRR001)	मेदिनीनगर	कनहर बराज परियोजना के सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर उसे सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त करने के कार्य हेतु।	01/14-15 प्र०सी० दिनांक-22.05.2014	995.30	871.69	0.00	123.60	123.60	39159	अतिरिक्त आवंटन कनहर बराज परियोजना के D.P.R. पर CWC का Approval प्राप्त होने अथवा T.O.R. के अनुसार कार्य सम्पूर्ण होने के उपरांत भुगतान हेतु।
			कनहर बराज परियोजना के EIA, EMP etc हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर उसे सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त करने के कार्य हेतु	02/14-15 प्र०सी० दिनांक-23.05.2014	40.83	0.00	0.00	20.00	20.00		Compressive ELA & EMP works for Kanhar Project
योग							0.00	143.60	143.60		

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2016 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आबंटन	वर्तमान आबंटन	कुल आबंटन		
6	गुण नियंत्रण प्रमंडल, मेदिनीनगर (PLMIR008)	मेदिनीनगर	मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर के परिक्षेत्राधीन गुण नियंत्रण कार्यों के लिए जॉच प्रयोगशाला पुनर्स्थापित करने हेतु	49/15-16 प्र.स्वी. दिनांक-29.01.2016	41.94	0.00	0.00	20.00	20.00	39162	Purchases of lab equipments and establishment of Laboratory
योग							0.00	20.00	20.00		
7	जलपथ प्रमंडल, गढ़वा (GRHIR004)	मेदिनीनगर	विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण, अनुसंधान, डी०पी०आर० प्रीप्रेषन, परामर्शी सेवाएँ एवं मूल्यांकन कार्य, राज्य के विभिन्न नदियों पर गेज डिस्चार्ज मापन, कार्य रेन गेज संधारण आदि कार्य हेतु।	10/15-16 प्र०स्वी० दिनांक-08.06.2015	1000.00	0.00	0.00	13.48	13.48	39154	Preparation of DPR for construction of Weir near Kalyanpur (Near Garhwa town on Danro river) by soil testing survey work
						10.00	0.00	53.81	53.81		Preparation of PPR for carrying Sone water to Garhwa by Consultant
योग							0.00	67.29	67.29		
कुल योग							0.00	283.83	283.83		
आवंटित राशि - ₹ दो करोड़ तिरासी लाख तिरासी हजार मात्र।											

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

68
27-06-16